मध्य प्रदेश में चलेगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान

महिलाओं की सेहत जांचने लगाए जाएंगे 20 हजार स्वास्थ्य शिविर

सच प्रतिनिधि ।। भोपाल।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितम्बर को मध्यप्रदेश से करेंगे। अभियान में महिलाओं का सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 हजार से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाये जाएँगे। इन शिविरों में नि:शुल्क जाँच और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जायेंगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान मध्यप्रदेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर है और एक चुनौती भी है। मध्यप्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में विगत वर्षों में सकारात्मक सुधार हुआ है। अभी भी हमें लंबी दूरी तय करनी है। इसके लिए आवश्यक है कि हर ज़िला, हर विकास खंड, प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से संकल्प लेकर प्रयास करे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाये, ताकि अभियान का लाभ अधिक से अधिक नागरिक उठा सकें। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निवास कार्यालय भोपाल से वीसी के माध्यम से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि स्वस्थ नारीङ्गसशक्त परिवार अभियान की सफलता के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सभी संचार

माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा एवं एएनएम घर-घर जाकर परिवारों को अभियान के उद्देश्य से अवगत कराएँ। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संगठनों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की सक्रिय सहभागिता इस अभियान की सफलता की कुंजी है, उन्हें अभियान में सहभागी बनाया जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धारित पोर्टल्स और ऐप्स पर समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें। हम सबका समन्वित और समर्पित प्रयास इस जनकल्याणकारी अभियान को सफल बनाएगा। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, आयुक्त श्री तरुण राठी, एमडी एनएचएम डॉ. सलोनी सिडाना सहित मेडिकल कॉलेज के डीन, समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन बीसी के माध्यम से और विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री यादव ने बताया कि स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी चुनौतियों की पहचान कर उनका त्वरित समाधान करना है। इसके अंतर्गत मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, अनमोल 2.0 में प्रविष्टि, टीकाकरण स्तर की समीक्षा और छूटे हुए टीकाकरण को पूरा किया जाएगा। किशोरियों में एनीमिया स्क्रीनिंग, उपचार और आहार संबंधी परामर्श पर विशेष बल दिया जाएगा। साथ ही किशोरियों और महिलाओं को पोषण एवं मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी जानकारी दी जाएगी। एमडी एनएचएम डॉ. सिडाना ने बताया कि अभियान अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 जिले, 5 विकासखंड, 15 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 10 अशासकीय संगठनों को सम्मानित किया जाएगा।

गैर-संचारी एवं संचारी रोगों की स्क्रेनिंग

अभियान में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुखङ्कसन एवं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, एनीमिया और सिकल सेल रोग जैसी गैर-संचारी बीमारियों की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही क्षय रोग और कुष्ठ रोग जैसे संचारी रोगों की स्क्रीनिंग व इलाज की भी व्यवस्था होगी। मानसिक स्वास्थ्य, मोतियाबिंद, कांचबिंद, दंत रोग और श्रवण विकारों की जांच भी इस पहल का हिस्सा है। अभियान में रोग निदान शिविर और रक्तदान शिविर जिला अस्पतालों एवं रक्त केन्द्रों में आयोजित होंगे। सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञता शिविर और जागरूकता कार्यक्रम होंगे।

संजीवनी क्लीनिक में लगाया डेंगू जागरुकता शिविर

सच प्रतिनिधि ।। भोपाल।

राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनीष शर्मा के निर्देशन एवं जिला मलेरिया अधिकारी श्रीमती स्मृता नामदेव के मार्गदर्शन में आज अमरावद खुर्द संजीवनी पर कैनोपी लगाकर उपस्थित लोगों को डेंगू के लक्षण, उपाय एवं बचाव के बारे में समझाया। इस दौरान क्षेत्रीय समन्वयक फैमिली हेल्थ इंडिया डॉ संतोष भार्गव ने कहा कि, इस मौसम में मच्छरों से बचाव आवश्यक है, लगातार बारिश होने के कारण लार्वा पनपने एवं ब्रीडिंग सोर्सेज की संख्या में वृद्धि होती है अत: हमें ध्यान रखना चाहिए कि लार्वा नहीं पनपे। इस दौरान कार्यक्रम। साथ ही कहा कि सभी की सहभागिता डेंगू नियंत्रण में जरूरी है आप सब का सहयोग अपेक्षित है, डेंगू के मच्छर मुख्य रूप से कंटेनर में पनपते है, कंटेनर को सतह हार्ड होती है, अत: ये गमला एवं गमले के नीचे की ट्रे, सीमेंट की टंकी, मनी प्लांट, टूटे फूटे वर्तन, छत पर पड़े टायर, पुराने मटके, फ्रिज की ट्रे कूलर, नारियल के खोल, डिस्पोजल इत्यादि मुख्य रूप से डेंगू के लार्वा को पनपने के श्रोत है, इस प्रकार मुख्य रूप से डेंगू के लार्वा हमारे घर के अंदर और बाहर साफ पानी में पनपते है। इस दौरान कार्यक्रम समन्वयक रत्नेश सिंह, कृष्णा पटेल एवं मंजू यादव सहित संजीवाणिका स्टाफ उपस्थित रहा।

अनुशासनहीनता : क्राइम ब्रांच के 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, पैसे वसूलने के लगे थे आरोप

सच प्रतिनिधि ।। भोपाल

पुलिस प्रशासन ने क्राइम ब्रांच में पदस्थ चार पुलिसकर्मियों को अनुशासनहीनता और संदिग्ध आचरण के चलते निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब इन अधिकारियों ने बिना सूचना दिए दबिश दी और उन पर अवैध वसूली के आरोप लगे। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जा रही है।

दरअसल गत दिवस भोपाल की क्राइम ब्रांच के चार पुलिसकर्मियों शैलेन्द्र रावत, सतेन्द्र, सुशील सिंह और आलोक मिश्रा ने अपने अधिकारियों को बिना जानकारी दिए दबिश दी थी। यह दबिश संदिग्ध मानी गई और इसके बाद रोजनामचे (डेली डायरी) में इस कार्रवाई की जानकारी दर्ज की गई।इन पुलिसकर्मियों पर अवैध रूप से पैसे वसूलने के गंभीर आरोप लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक दबिश के दौरान कुछ रुपयों के अवैध लेनदेन की शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। प्रारंभिक जांच में अनुशासनहीनता और संदिग्ध आचरण पाए जाने पर अधिकारियों ने चारों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस विभाग ने साफ कर दिया है कि क्राइम ब्रांच में अब भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 'जीरो टॉलरेंस' पॉलिसी के तहत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी।

एनवीडीए अधिकारी पर शासकीय दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप

भोपाल। समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार ने नर्मदा विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के वरिष्ठ अधिकारी एच.आर. चौहान पर गंभीर अनियमितताओं और शासकीय दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप लगाए है। आज भोपाल में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने चौहान की नियुक्ति को फर्जी करार देते हुए कहा कि उनकी पदस्थापना न्यायालीन प्रकरणों को अनदेखा और मेरिट प्रक्रिया के बगैर की गई है।चौहान की नियुक्ति मुख्य अभियंता नहर सनावद, सदस्य, अभियांत्रिकीय,सदस्य वित्त पर बोगस (फर्जी) तरीके से की गई है। नियुक्ति के पूर्व गोपनीय प्रतिवेदन नहीं बुलाए गए, मेरिट सूची एवं न्यायालीन प्रकरणों को अनदेखा किया। यह भी आरोप

लगाया कि पद का दुरुपयोग करते हुए बड़ी-बड़ी निविदाएं निकाली गई, जिनकी दर प्रचलन दर से अधिक की गई है जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ तथा एक ही ग्रुप के 5-7 ठेकेदारों को उपकृत किया गया। विशेष रूप से ब्लैक लिस्टेड कंपनी मेंटोना को निविदा दी गई, जबकि नहीं देना चाहिए थी। उन्होंने बताया कि समता समाधान पार्टी की ओर से लोकायुक्त, ईओडब्लू, मुख्य सचिव, राज्यपाल एवं एसीएस डब्लूआरडी को शिकायत एवं रिमाइंडर भी लगातार दिए गए ईओडब्लू द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए शासन को जाँच हेतु निर्देशित किया, और जांच भी जारी है लेकिन विभिन्न शासकीय एजेंसी द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। इसी प्रकार उन्होंने मुख्य अभियंता नर्मदा घाटी विकास इंदौर के प्रभारी श्याम सुंदर राउत पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच और कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने हटाई रोक, फिर भी शिक्षक भर्ती के रिजल्ट में देरी

भोपाल। राजधानी में एक बार फिर शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटने वाला है। दिसंबर 2022 से शुरू हुई मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग-2 की प्रक्रिया अभी तक परिणाम के इंतजार में अटकी हुई है। हाई कोर्ट की रोक हटने के बाद भी रिजल्ट में देरी से अभ्यर्थी मानसिक तनाव में हैं। इस देरी से नाराज हजारों अभ्यर्थी अब विरोध प्रदर्शन की राह पर हैं। अब पूरे मध्य प्रदेश से अभ्यर्थी आज भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार और मप्र कर्मचारी चयन मंडल के सामने अपनी मांगे रखेंगे। गौरतलब है कि म्प्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन दिसंबर 2022 में जारी हुआ था। इसके बाद पात्रता परीक्षा अप्रैल 2023 में और चयन परीक्षा अप्रैल 2025 में अयोजित की गई। हालांकि अब तक इस परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया है, जिससे लगभग दो लाख उम्मीदवार मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं। अभ्यर्थी लगातार से मप्र कर्मचारी चयन मंडल रिजल्ट के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया। जानकारी के अनुसार इस मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने 28 अगस्त 2025 को स्थगन आदेश समाप्त कर दिया था।

डीबी मॉल के सामने कार में रखकर खुलेआम बेच रहा था शराब

पूर्व शराब ठेकेदार मनीष श्रीवास्तव को एमपी नगर पुलिस ने दबोचा

सच प्रतिनिधि ।। भोपाल।।

मादक पदार्थ के साथ ही अवैध शराब के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों पर चैकिंग की जा रही है तो वहीं शहर के भीतर भी गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में एमपी नगर पुलिस ने पूर्व शराब ठेकेदार को दबोचा है। उसके पास से 7 बोतल शराब मिली है जो कि शासन द्वारा एक व्यक्ति द्वारा संग्रहित करने की सीमा से अधिक है। उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

एमपी नगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात करीब 8 बजे मुखबिर से

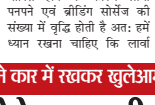

सूचना मिली थी कि गोविंदपुरा इलाके की एक दुकान से एक व्यक्ति ने बड़ी मात्रा में शराब खरीदी है तथा वह इस शराब को किसी ग्राहक को बेचने के लिए निकला। इस समय वह डीबी मॉल के सामने की सड़क पर खड़ा है। अगर जल्द ही उसे दबोचा नहीं गया तो वह अपनी कार लेकर वहां से भाग निकलेगा। मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा कार की घेराबंदी कर ली। तलाशी लेने पर उसकी कार से अंग्रेजी शराब की 7 बोतल मिलीं। इस शराब के परिवहन को लेकर कोई कागजात नहीं दिखा पाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद शराब व गाड़ी जब्त कर ली। अनुमान है कि आरोपी मनीष श्रीवास्तव की कार में ज्यादा मात्रा में शराब थी, पुलिस द्वारा पकड़े जाने से पहले ही वह शराब को ठिकाने लगा चुका था, इस बारे में तहकीकात की जा रही है।

आरपीएफ टीम ने यात्री सामान चोरी करने वाले आरोपियों और संदिग्धों के खिलाफ की कार्रवाई

भोपाल। भोपाल मंडल में त्यौहारी सीजन में बढ़ते यात्री भीड़ के मद्देनजर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डॉ.अभिषेक के निर्देशन में यात्री सुविधाओं एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में रेल सुरक्षा बल पोस्ट भोपाल निरीक्षक मंडल के स्टेशनों पर यात्री सामान की चोरी करने वाले व्यक्ति यों के विरुद्ध विशेष टीम गठित कर अभियान चलाया गया। टीम में निरीक्षक मनीष कुमार, अवधेश कुमार, आरक्षक कृष्ण कुमार, प्रधान आरिफ खान शामिल रहे एवं सपोर्ट टीम में उप निरीक्षक प्रकाश रघुवंशी, सहायक उपनिरीक्षक राघवेंद्र सिंह, आरक्षक मनीष पूनिया एवं आरक्षक समशेर आलम आरपीएफ स्टाफ की भूमिका रही। सात व्यक्ति यों को यात्री समान चोरी करने के प्रयास के दौरान पकड़ा गया जिनको रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए माननीय रेलवे न्यायालय भोपाल में पेश किया गया। इन पकड़े गए आरोपियों में हाकम सिंह, रावू उर्फ मसरूर, राजा सोनी, पवन पिशाच, कृष्णा यादव, छिदेश पांडे, आशीष सेन शामिल थे जिनका पूर्व आपराधिक रिकार्ड रहा है। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि रेल सुरक्षा बल भोपाल की उक्त कार्रवाई के कारण कम से कम सात चोरी की वारदातों को होने से पूर्व ही रोका गया है। भोपाल मंडल सतत रेल यात्रियों की सुरक्षा की दिशा में सजगता एवं तत्परता के कार्यरत हैं।

समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन

सच प्रतिनिधि ।। भोपाल।

और भारतीय किसान संघ आज किसानों की मांगों और समस्याओं को लेकर प्रदेश भर में कलेक्टरों को ज्ञापन देगा। संगठन की मांग है कि खेती में लगने वाले बीज, खाद, दवाई और यंत्रों से जीएसटी पूरी तरह हटाया जाए। खेती के सभी यंत्र, दवाइयां और बीज पर जीएसटी की दर बहुत कम रखी जाए। जीएम (जीन बदलकर बनाए गए) बीजों को देश में किसी भी हाल में आने की अनुमति न दी जाए। सरकार ने कपास पर जो आयात शुल्क हटाया है, उसे फिर से लगाया जाए।

कृषि लोन और किसान क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया आसान, ऑनलाइन और पारदर्शी की जाए। दस्तावेज देने के बाद भी परेशान करने वाले बैंक अधिकारियों पर कार्रवाई हो। ज्ञापन में कहा गया है कि जैसे मुद्रा लोन तुरंत मिलता है, वैसे ही किसानों को भी तुरंत कृषि लोन मिले, खेती में लगने वाले डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, हर ग्राम पंचायत में वर्षा नापने की मशीन (वर्षा मापक यंत्र) लगाई जाए और जैविक खेती करने वाले किसानों को भी खाद को सब्सिडी जितना ही प्रोत्साहन दिया जाए। फसल बीमा योजना में सैटेलाइट से सर्वे सही नहीं है। इसे बदलकर फिर से खेत में जाकर जांच (नेत्रांकन) से नुकसान का आकलन किया जाए।

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने आज आगामी कार्यक्रमों को लेकर इंदौर संभागीय भाजपा कार्यालय में इंदौर नगर के मंडल अध्यक्षों की बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर संभाग प्रभारी राघवेन्द्र गौतम एवं इंदौर जिला अध्यक्ष श्री सुमित मिश्रा उपस्थित रहे।

सूखी सेवनिया पुलिस ने पकड़ी ...

(पेज 1 का शेष)

पुलिस ने उक्त मामले में आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। सूखी सेवनिया थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी विदिशा सलामतपुर की ओर से एक सफेद रंग की टाटा सफारी कार जिसका नं. एमपी 04 सीएल 6416 है, भोपाल की ओर आ रही है। गाड़ी में अवैध शराब भरी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई। मुखबिर से लगातार संपर्क के बाद पुलिस को उक्त टाटा सफारी गाड़ी एसबी अस्पताल के पास आती हुई दिखी। गाड़ी के चालक ने पुलिस को देखा तो अपनी कार को मोड़ते हुये वायपास रोड तरफ भागने लगा। यस्वी अस्पताल के सामने ट्रैफिक जाम लग जाने से उक्त कार जाम में फंस गई। इसके बाद पीछ से पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर कार को रोका। तलाशी लेने पर कार में शराब की 28 पेटी बरामद की गईं। सफारी में मौजूद चालक ने अपना नाम आदिल शेख पिता अनीश उम्र 29 साल निवासी बाँसफूली जिला विदिशा का बताया। गाड़ी में मौजूद शराब के परिवहन से जुड़े कागज मांगे गए तो वह कोई दस्तावेज नही दिखा पाया। इसके बाद पुलिस ने आदिल को हिरासत में लेकर टाटा सफारी और उसमें रखी हुई अवैध शराब को जब्त कर लिया। आदिल के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शुरूआती पूछताछ में उसने बताया कि वह विदिशा से गाड़ी भरने के बाद भोपाल के नेहरू नगर इलाके में सप्लाई करने जा रहा था। अब पुलिस इस बात का पता करने की कोशिश कर रही है कि अवैध शराब किसकी है तथा किसके पास भेजी जा रही थी।

पुलिस आरक्षक के 7500 पदों के लिए आवेदन शुरू

- **नोटिफिकेशन जारी होते ही विवाद खड़ा हो**
- **रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता हटाने से युवाओं में नाराजगी**

सच प्रतिनिधि ।।भोपाल।

मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के 7,500 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इसकी आखिरी तारीख 29 सितंबर है। ईएसबी ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इधर, नोटिफिकेशन जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, सरकार ने रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता हटा दी है। युवाओं का कहना है कि यह गलत है। इस शर्त के हटने से बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा और मप्र के युवाओं के अवसर कम होंगे।

पिछली भर्ती में लागू थी शर्त- गौरतलब है कि 2017 से अब तक तृतीय-चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में जीवित रोजगार पंजीयन की शर्त अनिवार्य थी। हाल ही में समूह-2 और उपसमूह-3 की भर्ती में भी यही शर्त लागू थी। हालांकि ईएसबी के अधिकारियों का तर्क है कि पुलिस मुख्यालय से जो नियम मिले हैं, उसमें रोजगार पंजीयन की शर्त का प्रावधान नहीं है। दरअसल एमपीपीएससी भर्तियों में हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को रोजगार पंजीयन से छूट है। मप्र मूल निवासियों को आवेदन के समय पंजीयन अनिवार्य नहीं, लेकिन इंटरव्यू से पहले प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है। अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी मप्र रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। इसमें दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होता और वे किसी भी जिले में पंजीयन करवा सकते हैं। जीवित रोजगार पंजीयन का मतलब है रोजगार कार्यालय में किया गया पंजीकरण। इसे समय-समय पर नवीनीकृत कराना पड़ता है। यदि नवीनीकरण नहीं हुआ तो पंजीयन निष्क्रिय मान लिया जाता है और उम्मीदवार भर्ती के लिए अयोग्य हो जाता है। मप्र सरकार ने 2017 से तृतीय-चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में यह शर्त लागू की थी, ताकि राज्य की नौकरियां स्थानीय युवाओं तक सीमित रहें और बाहरी राज्यों से प्रतिस्पर्धा न बढ़े।

जिला बार एसो.के पदाधिकारियों ने कोर्ट मुंशी अशीष दुबे पर लगाया चौथ वसूली का आरोप

पुलिस कमिश्नर से की शिकायत, बोले,अभद्र व्यवहार के साथ की जाती हैं पैसों की मांग

सच प्रतिनिधि ।। भोपाल

राजधानी के कोलार थाने के कोर्ट मुंशी आशीष दुबे पर चौथ वसूली के आरोप लगे हैं। ज़िला बार एसोसिएशन भोपाल के अध्यक्ष दीपक खरे ,सचिव मनोज़ कुमार श्रीवास्तव ने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर हरिनारायणा चारी मिश्र से की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि कोर्ट मुंशी वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार करता है। वह अनुचित पैसों की मांग करता है। रुपए नहीं देने पर प्रकरण में गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता है। इस संबंध में शिगत कई दिनों से वकीलों द्वारा मौखिक व लिखित रूप से ज़िला अभिभाषक संघ, भोपाल को शिकायतें की गई हैं।

ज़िला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि ज़िला न्यायालय भोपाल में मुंशी कार्य के लिए कोलार थाना की ओर से पदस्थ कोर्ट मुंशी आशीष दुबे द्वारा ज़िला न्यायालय भोपाल में अधिवक्ता ओं के साथ अभद्र व्यवहार और अनावश्यक रूपयों की मांग की जाती हैं।

पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर से अनुरोध हैं कि उक्त कोर्ट मुंशी के खिलाफ तत्काल कठोर कार्यवाही करवे करें।

सच मीडिया पब्लिकेशन प्रा.लि. के लिए प्रकाशक/मुद्रक/संपादक सिकंदर अहमद द्वारा श्री बालाजी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 21, सेक्टर-एच, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, भोपाल, 462023 (म.प्र.) से मुद्रित एवं प्लॉट नं. 192, एवीएन टॉवर, जोन-1, एम.पी. नगर भोपाल-462011 से प्रकाशित।
सलाहकार सम्पादक : अशोक तरंगी । समाचार संपादक : सरण सिंह चौहान * समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र भोपाल होगा। आर.एन.आई. रजि. MPHIN/2012/42117, डाक पंजीयन म.प्र./भोपाल/4-460/2024-26, Mail-ID sachexpress013@gmail.com फोन नं. :- 0755-4212853